न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 02/ 20 **वर्ष 2020**

जीसीएमएस संख्या:– (2020/00119

बउनवानीः– 1.शोभागमल पुत्र गोविन्द जाति यादव निवासी ईसरदा तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. कपूर चन्द पुत्र श्रीनारायण (फोत) महाजन
   1/1. लालचन्द पुत्र कपूरचन्द महाजन,
   1/2. महावीर पुत्र कपूरचन्द महाजन,
   1/3. राजकुमार पुत्र कपूरचन्द महाजन,
   1/4. राजेश पुत्र कपूरचन्द महाजन
   1/5. मुकेश पुत्र कपूर चन्द महाजन
   1/6. मंजू पुत्री कपूरचन्द महाजन,
   समस्त निवासी ईसरदा, तह0 चौथ का बरवडा

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 25.5.1973उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970)

उपस्थितः– 1. श्री मुकेश तेहरिया — वकील प्रार्थी
2. श्री जगन्नाथ चौधरी — वकील अप्रार्थी 1–6

–: निर्णय :– **दिनांक 12.10.2022**

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 25.5.1973 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी को सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी ग्राम ईसरदा के स्थायी निवासी होकर काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसका आराजी ख0न0 2619 रकबा 0.75 है0, ख0न0 2485 रकबा 0.74 है0 ख0न0 2616 रकबा 0.30 है0, ख0न0 2619/5377 रकबा 0.29 है0 ख0न0 2621 0.20 है0, ख0न0 2657 रकबा 0.12 वाके ग्राम ईसरदा मे स्थित है इसी के पास आराजी ख0न0 1754 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा है जिसके नये नम्बर 2575 बने है। जिसमे 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी के बुजुर्गान के समय से प्रार्थी के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। किन्तु अप्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का एवं आवंटन कमेटी से मिलकर गलत तरीके से दिनांक 25.5.1973 को उक्त आराजी का आवंटन करा लिया है किन्तु आज दिनाक तक आवंटन शर्तो का पालना नही किया गया है प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को काफी रूपये खर्च कर काबिल काश्त बनाया गया है किन्तु पटवारी हल्का ने मौखा देखे बिना ही है अपनी मन मर्जी से मौका रिपोर्ट पेश कर दी गयी तथा [illegible] के आधार पर किया गया है तथा उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे होने के कारण उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 20.7.2020 को अप्रार्थीगण [illegible] आराजी पर कब्जा करने के लिए एक राय होकर आने पर आवंटन आदेश निगरानी की जानकारी प्राप्त हुई। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(निगरानी संख्या 02/20 शोभागमल बनाम कूपरचन्द वगै.)

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1(मृतक) कपूरचन्द के पक्ष मे किया गया आवंटन विधिवत है। मुताबिक आवंटन मिसल आवंटी भूमिहीन था तथा आवंटित भूमि पर आवंटी को 27.9.1973 को पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सम्भलाया गया है तब से आज दिनांक तक हम अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त है। आवंटित भूमि पर हमारा कब्जा काश्त होने की पुष्टि न्यायालय द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा से तलब की गयी मौका रिपोर्ट दिनांक 29.6.2022 से हो जाती है मुताबिक मौका रिपोर्ट उक्त आराजी ख0न0 2575 रकबा 0.37 है0 के तीनो दिशा मे हम खातेदारान द्वारा मिटटी का डोल लगाकर सीमेन्ट के चीरे गाडकर तारबन्दी कर रखी है। यह तर्क भी दिया कि उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे नही आता है तथा आवंटित भूमि पर हम अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। इस प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने एवं आवंटन के लगभग 49 वर्ष के बाद आवंटन रूल्स 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन खारिज किया जाना न्यायोचित नही है। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदेन किया गया ।

वकील उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वकील प्रार्थी के अनुसार वाके ग्राम ईसरदा के ख0न0 2575 रकबा 0.37 है0 भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने के कारण अप्रार्थी कपूरचन्द के पक्ष में किया गया आवंटन विधि विरूद्व बताया गया है। जबकि तहसीलदार चौथ का बरवाडा से तलब की गयी मौका रिपोर्ट के अनुसार आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा मिटटी का डोंल एवं सीमेन्ट के चीरे गाडकर तारबन्दी कर रखी है। आवंटित भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुकी है तथा खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। आवंटन के इतने वर्ष पश्चात केवल मिथ्या कथन एवं छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये आवंटन को ही खारिज किया जा सकता है परन्तु वकील प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया जिसके आधार पर उक्त आवंटन मिथ्या कथन एवं छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये आवंटन की श्रेणी मे आता हो। जहाँ तक उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने का प्रश्न है तो प्रार्थी के कब्जे के आधार पर आवंटन खारिज नही किया जा सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी कपूरचन्द के पक्ष मे किये गये उक्त आवंटन आदेश मे कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested